

# संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति, लखावा, कोटा

क्रमांक.....27

दिनांक 02-05-2023

श्रीमान उपवन संरक्षक,  
कोटा

विषय:- Permission for Running of existing gaushala in forest land, lakhawa distt. Kota, Rajasthan. (Proposal No.FP/RJ/Other/25462/2017)

प्रसंग:- आपका ऑन लाईन EDS एवं पत्रांक एफ 14(222/14)2014/एफसीए/प्रमुवसं/5615 दिनांक 13.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से बिन्दू सं. 1, 4, 5, 7 से संबंधित चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

- बिन्दू सं. 1 पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के साथ FRA प्रति, न्यायालय सहायक वन संरक्षक का निर्णय, उच्च न्यायालय का निर्णय जिसमें प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, कि प्रति संलग्न करते हुये उप वन संरक्षक प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी संलग्न करें।
- FRA प्रति, न्यायालय सहायक वन संरक्षक का निर्णय, उच्च न्यायालय का निर्णय की प्रति संलग्न है। श्रीमान उप वन संरक्षक की प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी अपेक्षित है। (संलग्न-1-10)
- बिन्दू सं. 2 का जवाब श्रीमान उप वन संरक्षक से अपेक्षित है।
- बिन्दू सं. 3 पालना अपूर्ण प्रस्तावित गैर वन भूमि पर वन सीमाएं अभी भी ओवर लेप हो रही है। इसका सही करवाया जाना आवश्यक है। उप वन संरक्षक इस संबंध में उप वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी को प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रस्तावित गैर वन भूमि पर ओवर लेप वन सीमाएं सही कर दी गई है। प्रस्ताव श्रीमान उप वन संरक्षक, कोटा द्वारा उप वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी को भिजवाया जाना अपेक्षित है।
- बिन्दू सं. 4 पालना अपूर्ण। यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित के0एम0एल0 फाईल संलग्न की गयी है किन्तु वन सीमा वेबसाइट पर उपलब्ध सीमा से मिलान नहीं कर रही है।
- मिलान कर दी गई है।
- बिन्दू सं. 5 पालना अपूर्ण। क्रय की गयी भूमि दो वनखण्डों के मध्य की भूमि है। जिला कलेक्टर से आवंटन दो हिस्सों में हुआ है तो मध्य की भूमि विक्रय पत्र द्वारा बाद में किस प्रकार क्रय हुई। गौशाला हेतु उनके पास उपलब्ध 2.48 है0 भूमि के अतिरिक्त अब और वनभूमि की आवश्यकता है भी या नहीं इसका विवरण संलग्न किया जावे। प्रस्ताव में 3.5654 है0 Open land है तो इसकी क्या आवश्यकता है, कारण स्पष्ट करें।
- श्रीमान जिला कलेक्टर कोटा द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 9073-77 दिनांक 05.11.04 द्वारा सिवाय चक 4.69 है0 भूमि गौशाला को आवंटित की गई थी। आवंटन के समय उक्त भूमि (2.48 है0) राजस्व रिकार्ड के अनुसार वनखण्डों के मध्य स्थित नहीं थी। यह भूमि (4.69 है0) दिनांक 16.05.2018 को वन विभाग के नाम नामान्तरण खुलने के बाद वनखण्डों के मध्य हुई है।

मध्य की 2.48 है0 भूमि (1.72 है0 प्रेमजी पुत्र खेडा भाई मकवाना ने 19.12.96 में क्रय की है तथा संत श्री आशाराम जी आश्रम ट्रस्ट पुष्कर, अजमेर ने दिनांक 06.01.1999 को 0.76 है0 भूमि क्रय की है) जो निजी/ट्रस्ट की भूमि है, जिस पर गौशाला का कोई अधिकार/स्वामित्व नहीं है। इस भूमि से गौशाला को कोई लेना/देना नहीं है। जिला कलेक्टर द्वारा 4.69 है0 भूमि वर्ष 2004 में आवंटित की गई थी। वर्तमान में 2004 से भी अधिक गायों की संख्या होने के कारण आवंटित 4.69 है0 भूमि से भी अधिक भूमि की अभी आवश्यकता है। (संलग्न-11-20)

राजस्थान भू राजस्व (गौशालाओं को भूमि आवंटन) नियम 1957 के नियम 7 में गौशाला को गायों की संख्या के अनुसार कितनी भूमि दी जा सकेगी के लिए मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं (संलग्न) इसके अनुसार वर्तमान में लगभग 600 गायों की संख्या है, गायों के वर्गानुसार/योग्यतानुसार छोटे-बड़े बछड़ों के लिये, बीमार गायों के

लिये गर्भित, बांझ, अपंग, नर, दुधारू तथा अयोग्य गायों के अलग-अलग बाड़े आदि के लिये ओपन लेण्ड 3.5654 का उपयोग किया जा रहा है जो उचित है। जिला कलेक्टर/प्रशासन द्वारा निरन्तर हर वर्ष शहर में पकड़ी गई गायों को भी गौशाला को दिया जाता है। जिससे भविष्य में गायों की संख्या 1000 तक पहुँचने की सम्भावना है। जिसके लिये निर्धारित मापदण्डानुसार लगभग 11.00 हे० की आवश्यकता होगी। (संलग्न-२१)

- बिन्दू सं. 6 की सूचना श्रीमान उप वन संरक्षक कोटा से अपेक्षित है।
- बिन्दू सं. - 7 पालना अपूर्ण। प्रत्यावर्तित वन के नवीन खसरो कोई शपथ -पत्र संलग्न किये जावे एवं नवीन जमाबंदी संलग्न की जावे।
- प्रत्यावर्तन वन भूमि के नवीन खसरो का शपथ पत्र एवं जमाबंदी संलग्न कर दी गई है। (संलग्न-२२)

संलग्न-

२१

२०००

संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति  
लखावा, कोटा

FORM-II

(for project other than linear projects)

Government of Rajasthan

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, KOTA**

No. .... श्री आशराम गौशाला / 2020-21/11

Dated..... 09/04/2021

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short ) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that **4.69 hectares** (in village Lakhawa Khasara No. 317(0.92), 318(1.83), 319/1(1.49), 308/490(0.14), 309/491(0.31) Total 4.69 hectares) of forest land proposed to be diverted in favour of **Saint Shri Asharam Ji Gaushala Samiti, Village Lakhawa, Kota, Rajasthan** (name if user agency) for **Permission For Running Of Existing Gaushala In Forest Land** (purpose for diversion of forest land) in Kota district falls within Jurisdiction of **Lakhawa** village in Ladhura tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.69** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **1** to annexure **5**
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,
- the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Lakhawa ward no. 6** village(s) is enclosed as annexure **1** to annexure **2**
- the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above.

3-874/21  
**District Collector, Kota**  
 (उज्ज्वल राठोड)  
 जिला कलक्टर  
 कोटा (राज.)

No. श्री अश्वाराम गोशाला / २०२०-२१ / ११

Dated... ०९/०५/२०२१

**Copy forwarded to:**

1. ADM (Revenue) Kota.
2. DCF(Territorial),Kota.
3. DCF(WL),Mukundra National Park, Kota.
4. SDM Ladpura Kota.
- ✓ 5. Saint Shri Asharam Ji Gaushala Samiti, Village Lakhawa, Kota, Rajasthan.



**CEO**

**Zila Parishad Kota**

श्री अश्वाराम गोशाला  
महाराजपुरा  
जिला कोटा

न्यायालय सहायक वन संरक्षक, कोटा, वन मण्डल कोटा

प्रकरण संख्या 131/2015

सरकार जयें क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा

बनाम



① रंजित शास्त्राचार्य, ② जगदीश भाई श्री/श्रीमती

पुत्र/पत्नी श्रीरामलाल

जाति-

निवासी-इलाहाबाद, दाल मुकाम आशाराब काम लखवा

तह.लाडपुरा, जिला कोटा

.....अप्रार्थी

-निर्णय:-

दिनांक 20-1-17

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा

द्वारा गैर सायल संत आशाराब ② जगदीश भाई ③ श्रीरामलाल के विरुद्ध

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया कि गैर सायल संत आशाराब ② जगदीश भाई ③ श्रीरामलाल, ने नाका बेत्ता चैकी अधीन वनखण्ड लखवा-ए ग्राम लखवा में खसरा न. 317, 116, की 4.69 हैक्टर वन भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः उसे बेदखल किया जावे एवं सख्त से सख्त सजा दी जावे। पुष्टि हेतु रॉलमन अभिलेख प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को जयें नोटिस पेशी दिनांक 10-3-15, 16-10-15, 18-11-15, 3-12-15, 16-8-16, 29-8-16, 30-9-16, 21-10-16, 30-11-16, 28-12-16, 20-1-17 पर तलब किया गया जिस पर राजपक्ष उपस्थित / अनुपस्थित तथा गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अधोपांत अवलोकन किया। राजपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एवं अभिलेख तथा गैर सायल के उपस्थित / अनुपस्थित रहने पर निर्णय सुनाया गया।

अतः भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत अतिक्रमी को बेदखल कर राजतहवील में लेन का आदेश दिया जाता है। इसी नियम की धारा 91 (2) के तहत ₹1000/- जुर्माना एवं X माह की सजा का निर्णय सुनाया जाता है। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होंवे।

निर्णय खुले न्यायालय कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा पर सुनाया गया।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा को निर्णय की प्रति पालनार्थ दी जाती है।



सत्य प्रतिनिधि प्रमाणित

*[Signature]*

सहायक वन संरक्षक  
कोटा

न्यायालय सहायक वन संरक्षक, कोटा

वन मण्डल कोटा

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

## ॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा ॥

(Nayapura, Civil Lines Rai Bhawan Road Kota Email ID-dekota.forest@rajasthan.gov.in)  
दूरभाष नं०-0744-2322747

दिनांक: 14.2.23

क्रमांक-एफ( )वर्त/तक/ 2022-23/ 1417  
निमित्त-

संत श्री आशारामजी गौशाला,  
लखावा कोटा।

विषय-आशाराम गौशाला समिति लखावा कोटा को एफसीए 1980 के तहत 4.89 है वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा के प्रकरण संख्या 131/2015 के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत वन अपराध एफआईआर 32-41 दिनांक 14.02.2023 को दर्ज किया जाकर वन अपराध का प्रकरण दर्ज किया गया है जिसके विरुद्ध एवजाना राशि 25000 जमा करवाया जाना है। इसके अतिरिक्त न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा पारित निर्णय की पालना में शास्ती राशि 21000 रु जमा करवाये। इस प्रकार कुल 46000 रु की शास्ति एवं एवजाना राशि जमा करवाये अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उप वन संरक्षक  
कोटा

4

संत श्री छत्राराम जी गौशाला समिति लखवा कोटा.

पुणे २५

दिनांक २८.०२.२०२३

श्रीमान उपायुक्त संरक्षण

कोटा

विषय : छत्राराम गौशाला समिति लखवा कोटा के एप्रील १९८० के तहत ५.६९ हे० वन भूखे उत्पादन के उत्पाद

पुंजा : आपका कार्यालय संख्या एच (३) वन/लख/२०२२-२३ दिनांक १५/१७ दिनांक १५.०२.२३

महोदय उपरोक्त विषयार्थ निवेदन है कि न्यायलय महोदय वन विभाग कोटा के प्रकरण नं० १३१/२०१५ के सिद्ध २०१५ अधिनियम १९५३ के तहत वन अपराध एच आर आर ३२-५१ दिनांक १५.०२.२०२३ को दर्ज कर गौशाला को एकजाना राशी २५०००/- रु. जमा करने के आदेश दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त न्यायलय महोदय वन विभाग कोटा के फाईल निर्णय दिनांक २०.०१.१७ की पालना में बाली राशी २१०००/- रुपये भी जमा करके जाते हैं। यह प्रकार कुल राशी ५६०००/- रुपये (बाली एवं एकजाना राशी) गौशाला समिति द्वारा डिमान्ड ड्राफ्ट बैंक राश्यात देगी। गुनीय वीके कानपुर कोटा कोटा १०५३२ दिनांक २८.०२.२०२३ पर के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। आपका स्वीकृत जारी करने का कष्ट करने।

सदर

संगत : वीके ड्राफ्ट  
नं० १००५३२ दि० २८.०२.२३

२८.२.२३  
संत श्री छत्राराम जी गौशाला  
लखवा कोटा  
मो० ९१६६९६६९९३

२८-०२-२०२३  
अध्यक्ष  
राज्य मण्डल वन अधिकारी  
कोटा



IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR

RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH, JAIPUR

S.B.CIVIL WRIT PETITION NO. 19970/2013

Sant Shri Asharam Ji Gausnala  
Samiti, Lakhava, Tehsil Ladpura,  
District Kota through its Sachalak  
Jagdish Bhai son of Shri Sirumal  
Asrani (Sindhi), aged about 44  
years, resident of Sant Asharam  
Ashram, Village Lakhava, Tehsil  
Ladpura, District Kota (Rajasthan).

---PETITIONER

VERSUS

1. State of Rajasthan through the  
Principal Secretary, Forest  
Department, Government of  
Rajasthan, Government  
Secretariat Jaipur.
2. Union of India through the  
Secretary, Ministry of  
Environment & Forest, Regional

Order Commissioner  
Raj. High Ct.

*Longhi*



8053  
20/11/53

8-12-53

..... 10/10/53 regional

Chief Commissioner  
Raj. U. -

L. K. S. S.

Office, Central Division,  
Kendriya Bhawan, 5th Floor,  
Sector-H, Aliganj, Lucknow  
(UP).

3. The Additional Principal Chief  
Conservator of Forests and  
Nodal Officer, Forest Diversion  
Case, Van Bhawan, Jaipur.

---RESPONDENTS

S.B. CIVIL WRIT PETITION UNDER  
ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF  
INDIA

AND

IN THE MATTER OF ARTICLE 14, 19 AND  
21 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

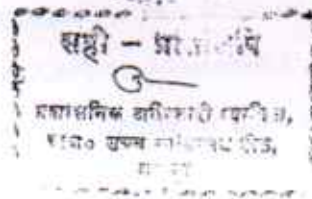
AND

IN THE MATTER OF ISSUANCE OF  
APPROPRIATE DIRECTIONS TO THE  
RESPONDENTS TO TAKE QUICK

Joint Commissioner  
Raj High Court

*A. K. S. S.*

DECISION WITH REGARD TO  
DISPOSAL OF THE PROPOSALS OF  
DIVERSIONS OF FOREST LAND  
SUBMITTED BY THE PETITIONER  
SOCIETY WITHIN TWO MONTHS.



*Jugliss*  
संत श्री आसाराम जी गौशाला  
झलावाड़ रोड लखनऊ कोटा  
मो. 9351317995  
Ph. 0744-3296001

10

(5)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR  
RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR.

ORDER

S.B. CIVIL WRIT PETITION No.19970/2013.

Sant Shri Asharam Ji Gaushala Samiti Lakhava, Kota  
Vs.  
State of Rajasthan & Ors.

Date of Order :-

November 29, 2013.

HON'BLE MR.JUSTICE MOHAMMAD RAFIQ

Shri Lokendra Singh for the petitioner.

\*\*\*\*\*

**BY THE COURT:-**

Contention of the learned counsel for the petitioner is that the land area has been allotted to the petitioner for running the Gaushala purchased by the petitioner society through registered sale and allotted by the State Government and some part of the land falls within the forest area. They submitted diversion proposal to the State Government, which should be sent to the Central Government. Petitioner would undertake to provide equal amount of land adjacent to forest area.

Petitioner for that purpose, should approach the District Collector Kota, who may look into the matter and do needful.

With that direction, writ petition is disposed of.

(MOHAMMAD RAFIQ), J.

-:: श्री रामजी -::

-:: विक्रय-पत्र -::

हमकि:- बालाराम पुत्र श्री जगन्या उम्र---साल, छीतरलाल  
आत्मज श्री देयराम उम्र---साल, नन्द, कन्या तुलसी भूली  
पुत्रिया देवराम जाति बैला निवासी गण ग्राम लखावा सब  
तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा के हैं।

जो कि हमारी स्वय की कब्जे काशत व छातेदारी की आराजीयात खसरा  
संख्या-308 रकबा-0.50 हैक्टर व 309 रकबा-1.22 हैक्टर बारांनी प्रथम  
कुल किता-2-रकबा-1.72 हैक्टर ग्राम लखावा सब तहसील मण्डाना तहसील  
लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, इस उपरोक्त आराजीयात के  
हम मुकिरान एक मात्र छातेदार है, जिसको रहन-बैय, हिब्बा या वसीयत  
आदि करने का हमको पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

इस कि हमको रुपयों की आवश्यकता है, अतः अपनी उक्त -  
आराजीयात खसरा न0-308-रकबा-0.50 व 309-रकबा 1.22 हैक्टर  
बारांनी प्रथम कुल 1.72 हैक्टर को बद्स्त श्री प्रेम जी आत्मज श्री खोडा  
भाई मकवाना उम्र 38 वर्ष जाति मेखवाल द्वारा संत श्री आसाराम जी-  
आश्रम साबरमती अहमदाबाद को बकीमत मुबलिंग-2,62,000/- रुपया अक्षरे  
दो लाख बासठ हजार रुपया मात्र में बैचान यानी फरोहत करदी है, और  
बैचान के पेटे समस्त राशी खरीदार से प्राप्त करली है, और बैची गई  
उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर मालिकाना कब्जा खरीदार को सम्भला  
दिया गया है।

कोटा) यह कि आज तक इस आराजी बाबत जो कुछ हक, हक्क-मालिकाना  
हक्क काशत, हक रास्ता आदि हमको प्राप्त थे, वह समस्त हक्क आज से ही-  
खरीदार महोदय की जात पर मुन्तकिल कर दिये हैं।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

बालाराम  
-2- छीतर

32912

19

12-1998

दिनांक 19 मार्च 1998

3:00 बजे व 3:30 बजे के मध्य मण्डाना

कार्यालय में श्री राजाराम प्रजापति व 22848 पुनर्वास

मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पुनर्वास प्रमाणित

60/35, 30, 27/3

बर्ध जाति के निवासी

मृत्यु किया।

हय पंजीयक मण्डाना  
पिना कोटा

राजाराम

द्वितीय



वक्त निष्पादन कर्ता/वस्तु...  
1. इन लेख पत्र को ही ले लेना र  
किया। प्रतिक... 2,62,000/-  
से ले...  
स्वीकार किया तथा शेष राशि रुपये 9811/-  
भी ले लेना प्राप्त किये।

हय पंजीयक मण्डाना  
पिना कोटा

5484196  
19.12.98  
माद नं० 350050  
जि० फीस 1200  
नकल फीस 300  
ट्रान्झाकन फीस 351500  
नकली फीस 32925200  
विवरण फीस 36440200

हय पंजीयक, मंडाना  
पिना कोटा

राजाराम

द्वितीय



-::2::-

यह कि अब इस उक्त बेची गई आराजी से हमारा व हमारे किसी भी वारिसान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है। अब यदि इस आराजी बाबत हमारा कोई वारिस या अन्य व्यक्ति अपना हक या उज्र बतलाकर खरीदार से दावा शगडा, आदि करेगा तो उसकी समस्त-जवाबदेही व हर किस्मी खर्च का भार हमारी जात व जायदाद के ही जिम्मे होगा।

यह कि विक्रय की जाने वाली आराजी आज से पूर्व किसी भी दिगर-जगह पर रहन, बैय, हिब्बा या वसीयत की हुई नहीं है। न इस पर किसी बैंक या अन्य संस्था का कोई ऋण बकाया है। यानी हर प्रकार के भार से मुक्त है।

यह कि इस आराजी का आज तक का समस्त कडता, लगान, सरचार्ज, पिलाई आदि हमने राजस्व विभाग में जमा करा दिया है, यदि आज तक का कोई भी सरकारी बकाया निकला तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी हमारी होगी, भविष्य में खरीदार जमा कराते रहा करेगे।

यह कि इस आराजी को इस विक्रय पत्र द्वारा खरीदार नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में नामांजुलवाकर अपने नाम खाते दर्ज करा लेवे, इसमें हमको कोई एतराज नहीं होगा।

यह कि यह आराजी असंचित है, बारानी प्रथम है, ओर मुख्य सडक से काफी दूर स्थित है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हमने बहौश हवास स्वस्थचित्त, बिना नशे व दबाव के तहरीर कर दिया, जो सनद रहे। समय पर काम आवे।

यह विक्रय पत्र स्टाम्प कीमती-15000/-10,000/-1000/-100/-100/-कुल फिता-5-कीमती 26,200/-रुपया पर तहरीर है, तहरीर तारीख दस्तावेज-18-12-1996 ईस्वी।

ग्राहक:-

21.2.2000 (म.म.)

19/12/96

2

गवाह मचद

गवाह मचद

मालाराम

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

उक्त निष्पादन कार्या/कार्यों की गवाह

- (1) श्री मूलचंद पुत्र माला राम  
 आयु 25 वर्ष जाति 2012 व्यवसाय 31301  
 निवासी महावीर नगर दिनांक 2012 मास 12 तिथि 19
- (2) श्री सत्यनारायण पुत्र 31301  
 आयु 25 वर्ष जाति 2012 व्यवसाय 31301  
 निवासी महावीर नगर दिनांक 2012 मास 12 तिथि 19

एक पंजीयक मंत्रालय  
 निम्ना कोटा

① मूलचंद

② सत्यनारायण

शेष दिनांक... 19... मास... 12... सन् 1916  
 में पुस्तक संख्या... 1... जिल्द संख्या... 1...  
 क्रम संख्या... 635... पृष्ठ संख्या 110 से...  
 पर पंजीयक किया गया।  
 प्रतिलिपि जिल्द संख्या 1 की जिल्द  
 सं... 7... में पृष्ठ संख्या 205-206 दिनांक 19...  
 मास... 12... सन् 1916 पर लिपिकाई गई।

निम्ना कोटा

प्रमाणित प्रतिलिपि

(उक्त निष्पादन कार्या/कार्यों की गवाह)

संतोषदास शर्मा मुद्रांक  
 दूत, कोटा

भारतीय न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

72AA 313702

10  
1227 21/13

श्री  
श्रीमती अधिवक्ता (उप न्यायिक II को-  
न्यायिक रेकार्ड शाखा  
पुल, कोटा

पुल, कोटा



10  
8812-12-9-13  
13-21-09-04  
V.S.



10  
8812-12-9-13  
13-21-09-04  
V.S.



### बैयनामा

हम कि श्री त्रिलोकी नाथ आत्मज स्व० श्री गोविन्द लाल जी एवं श्रीमती देव कुंवर बाई पत्नी स्व० श्री गोविन्द लाल जी निवासी ग्राम लखावा हाल साकिन महावीर नगर विस्तार, बसंत बिहार सेक्टर-4 कोटा (राज०) के है।

यह कि हमारी कब्जेकाशत व खाते की आराजी खसरा स० 116 की रकबा 1.90 हेक्टर, खसरा न० 304 रकबा 0.68 हेक्टर, खसरा न० 305 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा न० 306 रकबा 0.92 हेक्टर एवं खसरा न० 307 रकबा 1.00 हेक्टर कुल कित्ता पांच रकबा 4.75 हेक्टर वाके ग्राम लखावा पटवार क्षेत्र लखावा नायब तहसील मंडाना तहसील लाहपुरा जिला कोटा में वाके हैं जिस पर हमारा ही मालिकाना कब्जा व अधिकार बिला शिरकते गैर घला आ रहा है। जो आज तक कहीं रहन बेय हिब्बा वगैरा नहीं है। यानि कि हर तरह के भार से पाक व साफ है और हमें इस भूमि के हक काशत को रहन व हिब्बा वगैरा करने के पूरे इख्तियारात हासिल है।

यह कि रुपयों की आवश्यकता होने के कारण उक्त आराजी में से खसरा संख्या 307

प्रमाणित प्रतिलिपि

*Signature*

देव कुंवर

(उप)   
 पंजीयन   
 कोटा

या गया।

प्रमाणित   
 प्रतिलिपि

तन राज्य   
 1. शुल्क

6 1 99  
 11:30 18.00  
 1 वेला, श्रीगुरुदेवकुंवर  
 44,80 अहीर नौकरी, गहलो  
 गण, असंग किरा, कोय  
 18.00



[Signature]  
 [Text in Hindi]

[Signature]  
 देवकुंवर

स्वयं

2,85,000/-

सम्पूर्ण

NIL

[Signature]

[Signature]

देवकुंवर

23/98  
 6/1/99

2945 = 00

30 = 00

10 = 00

2985 = 00

615 = 00

3600 = 00

[Signature]

देवकुंवर

रकबा 1.00 हेक्टर में से 0.51 हेक्टर एवं खसरा संख्या 116 रकबा 1.90 हेक्टर में से 0.25 हेक्टर कुल दो कित्ता रकबा मुबलिंग 0.76 हेक्टर जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है का विक्रय मुबलिंग रुपये 285000/-अक्षरे दो लाख पिच्चासी हजार रुपये में संत श्री आसाराम जी आश्रम ट्रस्ट पचकुंड पुष्कर, अजमेर (राज०) शाखा लखावा, कोटा (राज०) को बैय कर्मिल करके इकरार करते हैं और लिखे देते हैं कि जिस कदर हक व हक्क मालिकाना दाखिली व खारजी, अन्दरुनी, व बैरुनी, जेरीन व बालाई व हक काशत वगैरा जो भी हमें हासिल थे वोह जुमला हक व हक्क मालिकाना आज से खरीददार साहब की ज्ञात पर मुन्तकिल कर दिए है, हमारा या वारिसान व कायम मुकामान का आयन्दा का कोई हक बाक्री नहीं रहा । यदि कोई भी शख्स किसी किस्म का दावा व झगड़ा खरीददार साहब से करेगा तो वह झूठा समझा जावेगा । खरीदार साहिब को बेचे गये भू भाग से हमारा अब कोई ताल्लुक न होगा, जयें बैय की कुल चुकती रकम 285000/-अक्षरे दो लाख पिच्चासी हजार रुपये खरीदार साहिब से निम्न प्रकार से प्राप्त कर लिये है।

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| जयें चेक नम्बर 665581 | दिनांक 04-01-99 | रुपये 100000/- |
| जयें चेक नम्बर 665582 | दिनांक 14-01-99 | रुपये 50000/-  |
| जयें चेक नम्बर 665583 | दिनांक 15-02-99 | रुपये 50000/-  |
| जयें चेक नम्बर 665584 | दिनांक 01-03-99 | रुपये 40000/-  |
| जयें चेक नम्बर 665585 | दिनांक 30-03-99 | रुपये 42000/-  |
| जयें नकद              | दिनांक 02-01-99 | रुपये 3000/-   |

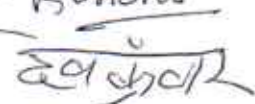
(अक्षरे दो लाख पिच्चासी हजार रुपये) कुल योग :

285000/-

प्रमाणित किया जाता है







संज्ञित

कुल काटा

2. हेमलाल शर्मा दासीलाल ली  
 पं. 40 भाली हेमलाल  
महावीरनगर IX, कोटा  
 3. ओमप्रकाश गुप्ता रामप्रताप ली  
पञ्चकुल महापन व्यापार  
महावीरनगर IX, कोटा

① JKP

② सिम्पल

प्रमाणित प्रति निवेदि

कार्य दिनांक 6 1 99  
 दि. पुस्तक 1  
 कार्य संख्या 6 39  
 कार्य पंजीकरण  
 1 ली. विवरण  
 ई. 1 10-13 6  
 99

-- 3 --



यह कि आराजी मजकूरा बाला पर खरीददार साहब को मालिकाना कब्जा जयें लखावा आश्रम ट्रस्ट अध्यक्ष श्री मांगी लाल जी त्यागी निवासी दादाबाड़ी, कोटा मौके पर वास्तविक रूप से संभला दिया है कड़ता वगैरा आयन्दा का खरीददार खुद जमा करेगे, खाते बंदी की कार्यवाही खरीददार खुद के खर्चे पर इस बयानामे के जयें करवा सकेगे। इस भूमि पर आज तक किसी बैंक या संस्थान का कोई ऋण बकाया नहीं है यह भूमि अनकमाण्ड ऐरिया की है असिंचित है। एवं आराजी सड़क

से दूर है।  
 10/11/2019 (राजो)  
 लिहाजा यह बयानामा भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 1.00 हेक्टर में से 0.51 हेक्टर

एवं खसरा नम्बर 116 रकबा 1.90 हेक्टर में से 0.25 हेक्टर कुल दो किता रकबा मुबलिन 0.76 हेक्टर वाले ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा उप तहसील मंडाना जिला कोटा तादादी रुपये 285000/-अक्षरे दो लाख पिच्चासी हजार रुपये दसूल पाकर व भूमि मजकूरा बाला पर खरीदार साहब को मालिकाना कब्जा मौके पर संभला कर बंदुरस्ती होशो हवास्त बिना दाव दबाव के अपनी राजी खुशी लिख दिया है जो सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

प्रमाणित प्रतिलिपि  
 2

(उप तहसील मंडाना जिला कोटा)

पंजाब  
 पंजाब

दस्तावेज

10/11/2019

देवेंद्र

बेचान आराजी वत्के ग्राम लखावा उप तहसील मंडाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)  
की चतुर्सीमाये निम्न है ।

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| पूरब   | : | पूज्य आसाराम जी आश्रम            |
| पश्चिम | : | शेष रकबा खसरा संख्या 307 एवं 116 |
| उत्तर  | : | आराजी राज                        |
| दक्षिण | : | पूज्य आसाराम जी आश्रम            |

ये बीसगुना स्टाम्प कीमती 20000/- रुपये के चार किता पर तहरीरी किया गया है ।

तहरीरी तारीख :

गवाहान - 1.

2. *[Signature]*

हस्ताक्षर

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

## ***<sup>1</sup>The Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land to Gaushalas) Rules, 1957***

In exercise of the powers conferred by clause (xiv) of sub-section (2) of section 261 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 read with section 102; thereof, the State Government hereby makes the following rules, namely: -

**1. Title and Commencement.** - (1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land to Gaushalas) Rules, 1957.

(2) They shall come into force at once.

**2. Interpretation.** - In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context, "Gaushalas" shall mean an institution for the protection, care and well being of cattle or the improvement of their breed, and shall include 'Gapalkendras', 'Pinjrapoles' and other similar institutions.

**3. Gaushalas eligible to apply for allotment.** - Gaushalas shall be eligible to apply for the allotment of land under these rules for grazing purpose provided that-

<sup>2</sup> (1) Gaushala must be registered under the Rajasthan Societies Registration Act 1958 and the Rajasthan Gaushalas Act, 1960

(2) They maintain at least fifty heads of cattle.

**4. Application for allotment.** - (1) Any Gaushala desirous of obtaining any allotable area of unoccupied Government land for the grazing of its cattle may apply in writing to the Collector of the district in which the land applied for is situated.

(2) The application shall contain the following particulars-

- (a) Name of the Gaushala and of the place where situated;
- (b) Names, address and occupation of the persons responsible for its management;
- (c) Date of registration of the Gaushala under the<sup>3</sup> {Rajasthan Societies Registration Act, 1958 and Rajasthan Gaushala Act, 1960}; together with the number of registration certificate;
- (d) Period during which the Gaushala has been functioning as such;
- (e) Average number of cattle maintained by the Gaushala during the past 3 Years;

<sup>1</sup> Notification no. F.6(76)Raj./A/8/56, dated 05.12.57.

<sup>2</sup> Substituted by notification no.f.6(30)rev-6/2000/5, dated 16-02-2008

<sup>3</sup> Substituted by notification no.f. 6(30)rev-6/2000/5, dated 16-02-2008

- (f) Financial position and sources of income;
- (g) Area of land already held for grazing purposes; and
- (h) Situation, boundaries and Khasra numbers of the area applied for.

**5. Enquiry by Collector.** - (1) On receipt of an application under rule 4, the Collector shall first satisfy himself, by such enquiry as he may deem fit, regarding the correctness of the particulars given in the application, and shall, thereafter, call for a report from the Tehsildar with regard to the area applied for, whether it is occupied or unoccupied, whether it is assessed or unassessed, and if assessed what the rent is, as well as its soil classification the current settlement.

(2) On receipt of the Tehsildar's report and after such further enquiry as he may deem fit to make, <sup>4</sup>{the Collector may either reject the application for reasons be recorded or accept the application.} Before accepting the application, the Collector shall have due regard to the availability of land for the grazing of the village cattle and shall also see whether the land applied for is likely to be needed for the extension of the village abide or for any other development scheme.

**6. Lands that cannot be allotted.** - The following categories of land shall not be allotted under the rules.-

- (i) Deleted by notification dated 15.06.02
- (ii) Lands specified in section 16 of the Rajasthan Tenancy Act. 1955 with the exception of land mentioned in clause (iv) of that section; and
- (iii) Lands reserved for village forests.

<sup>5</sup> Provided that if no suitable sawaichak land is not available for allotment to Gaushalas and sufficient land remains available for grazing cattle of the village, the Charagah land may be allotted under these rules.

✓ **7. Extent of area to be allotted and sanctioning authority-** (1) The area to be allotted under these rules shall be at the rate of 10 square meter per cattle head for the use of cattle head for the use of cattle for sitting or standing purpose and one hectare per 100 cattle heads for providing facilities such as grazing, drinking water, production of fodder and collection of dung etc.:

Provided that the maximum land allotted under this rule shall not exceed 25 hec.

(2) All allotments under these rules shall be sanctioned by the <sup>6</sup>{Collector}.

**8. Conditions of allotment.** - All allotments of land under these rules shall be subject to the following conditions:-

(1) The land shall be given on lease, and not on Khatedari or Gair- Khatedari rights.

(2) The rent to be charged shall be-

- (a) one fourth of the rent assessed at the current settlement if the land

<sup>4</sup> Substituted by notification f.6(10)rev-6/99/7, dated 15-02-2001.

<sup>5</sup> Added by notification dated F.6(3)rev-/6/2000/4, dated 17-02-05.

<sup>6</sup> Substituted by notification no. 6(10)rev-6/99/7, dated 15-02-2001.

# जमान्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :-  
सह. पीन :-  
सम्बन्ध :-  
क्षेत्रफल :-

सम्बन्ध :-  
आदपुरा  
2072 - 2075  
हैटियर

पटवार हल्का  
जिला :-  
खान्दकि सम्बन्ध :-

रानपुर  
कोटा  
2072

सू. अति. क्षेत्र  
दिनांक :-

रानपुर  
21/06/2018

प्रपत्र पी-26(बी)  
पृष्ठ संख्या 1 of 6

| खण्ड(खतोनी) |         |                             | भूमि धारक का नाम                            | कायतवार का नाम | संख्या  | क्षेत्रफल | भूमि वर्गीकरण | निर्बाह के साधन | तमान  |     |    | नामान्ता भूमि अथवा जिसके पक्ष में भूमि तथा तारीख अन्तर्गत हो | टिप्पणी |
|-------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------------|-----------------|-------|-----|----|--------------------------------------------------------------|---------|
| नया         | पुराना  | का नाम                      |                                             |                |         |           |               |                 | दर    | रकम | 9  |                                                              |         |
| 1           | 2       | 3                           | 4                                           | 5              | 6       | 7         | 8             | 9               | 10    | 11  | 12 | 13                                                           |         |
| 853         | 1       | राज.                        | वन विभाग नामा.न. 501                        | 27/1           | 2.9300  | बंजड़     | 2.9300        | 2               | 5.86  |     |    |                                                              |         |
| 852         | सम्बन्ध | नामा. न. 501-नि. 16/05/2018 | नामा. अर्द्ध (नामा.पुस्तिका न.: 2601-12880) | 28/1           | 2.2100  | बंजड़     | 2.2100        | 2               | 4.42  |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 31             | 0.7100  | बंजड़     | 0.7100        | 2               | 1.42  |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 32             | 1.0500  | बंजड़     | 1.0500        | 2               | 2.10  |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 35             | 10.1000 | बंजड़     | 10.1000       | 2               | 20.20 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 36             | 10.7500 | बंजड़     | 10.7500       | 2               | 21.50 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 37             | 6.0000  | बंजड़     | 6.0000        | 2               | 12.00 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 38             | 8.0400  | बंजड़     | 8.0400        | 2               | 16.08 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 39             | 0.5200  | बंजड़     | 0.5200        | 2               | 1.04  |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 40             | 2.3900  | बंजड़     | 2.3900        | 2               | 4.78  |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 41             | 14.3200 | बंजड़     | 14.3200       | 2               | 28.64 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 57             | 11.0500 | बंजड़     | 11.0500       | 2               | 22.10 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 61             | 9.2900  | बंजड़     | 9.2900        | 2               | 18.58 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 63             | 6.6900  | बंजड़     | 6.6900        | 2               | 13.38 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 64             | 12.0000 | बंजड़     | 12.0000       | 2               | 24.00 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 65             | 6.0500  | बंजड़     | 6.0500        | 2               | 12.10 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 66             | 0.4300  | बंजड़     | 0.4300        | 2               | 0.86  |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 67             | 6.4800  | बंजड़     | 6.4800        | 2               | 12.96 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 68             | 9.4900  | बंजड़     | 9.4900        | 2               | 18.98 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 69             | 5.1900  | बंजड़     | 5.1900        | 2               | 10.38 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 70             | 5.6400  | बंजड़     | 5.6400        | 2               | 11.28 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 71             | 22.2400 | बंजड़     | 22.2400       | 2               | 44.48 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 74             | 15.9000 | बंजड़     | 15.9000       | 2               | 31.80 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 84             | 15.3500 | बंजड़     | 15.3500       | 2               | 30.70 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 85             | 7.5500  | बंजड़     | 7.5500        | 2               | 15.10 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 86             | 20.0000 | बंजड़     | 20.0000       | 2               | 40.00 |     |    |                                                              |         |
|             |         |                             |                                             | 87             | 16.0000 | बंजड़     | 16.0000       | 2               | 32.00 |     |    |                                                              |         |

853 (सम्बन्ध)

# जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- लखावा  
तहसील :- लाहपुरा  
सम्बत :- 2072 - 2075  
क्षेत्रफल :- हेक्टेयर

पट्टाकार हल्का  
जिला :-  
साल्विक सम्बत :- 2072

रामपुर  
कोटा  
2072

प्र. अति. मि. शेख  
दिनांक :-

रामपुर  
21/06/2018

पृष्ठ संख्या 2 of 6  
प्रपत्र पी-26(बी)

| खेजद(खतोनी) | भूमि धारक का नाम |        | कालजकार का नाम | खसरा संख्या | क्षेत्रफल         | भूमि वर्गीकरण | विचार्ज के आधार | लगात |       | समानरण आदेश नं. तथा तारीख जल्परित हो | प्रति व्यौरा विनिर्दिष्ट जिले के पत्र में भूमि जल्परित हो | टिप्पणी |
|-------------|------------------|--------|----------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|             | नया              | पुराना |                |             |                   |               |                 | दर   | रकम   |                                      |                                                           |         |
| 1           | 2                | 3      | 4              | 5           | 6                 | 7             | 8               | 9    | 10    | 11                                   | 12                                                        | 13      |
|             |                  |        |                | 88          | 12.3600 बंजड      |               | 12.3600         | 2    | 24.72 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 89          | 8.2800 बंजड       |               | 8.2800          | 2    | 16.56 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 90          | 15.2000 बंजड      |               | 15.2000         | 2    | 30.40 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 91          | 16.0000 बंजड      |               | 16.0000         | 2    | 32.00 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 92          | 6.1300 बंजड       |               | 6.1300          | 2    | 12.26 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 93          | 7.4900 बंजड       |               | 7.4900          | 2    | 14.98 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 94          | 3.1400 बंजड       |               | 3.1400          | 2    | 6.28  |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 95          | 7.1100 बंजड       |               | 7.1100          | 2    | 14.22 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 96          | 6.1600 नहरी नृतीय |               | 6.1600          |      |       |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 97          | 11.5500 बंजड      |               | 11.5500         | 2    | 23.10 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 98          | 11.9200 बंजड      |               | 11.9200         | 2    | 23.84 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 99          | 13.2000 बंजड      |               | 13.2000         | 2    | 26.40 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 100         | 13.2000 बंजड      |               | 13.2000         | 2    | 26.40 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 101         | 10.8000 बंजड      |               | 10.8000         | 2    | 21.60 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 102         | 10.0400 बंजड      |               | 10.0400         | 2    | 20.08 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 103         | 15.0000 बंजड      |               | 15.0000         | 2    | 30.00 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 104         | 4.1300 बंजड       |               | 4.1300          | 2    | 8.26  |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 105         | 6.5000 बंजड       |               | 6.5000          | 2    | 13.00 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 106         | 5.3600 बंजड       |               | 5.3600          | 2    | 10.72 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 107         | 10.9500 बंजड      |               | 10.9500         | 2    | 21.90 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 108/1       | 12.3900 बंजड      |               | 12.3900         | 2    | 24.78 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 110         | 7.8500 बंजड       |               | 7.8500          | 2    | 15.70 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 111         | 7.8400 बंजड       |               | 7.8400          | 2    | 15.68 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 112         | 21.5700 बंजड      |               | 21.5700         | 2    | 43.14 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 113         | 12.3600 बंजड      |               | 12.3600         | 2    | 24.72 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 114         | 10.6600 बंजड      |               | 10.6600         | 2    | 21.32 |                                      |                                                           |         |
|             |                  |        |                | 115         | 10.6100 बंजड      |               | 10.6100         | 2    | 21.22 |                                      |                                                           |         |

## 21

भू. अभि. नि. क्षेत्र  
दिनांक :-

प्रपत्र पी-26(बी)  
पृष्ठ संख्या 3 of 6

853 (मज्झिम)

# जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- लडावा  
तहसील :- लाहपुरा  
सन्वत् :- 2072 - 2075  
क्षेत्रफल :- हैक्टयर

पटवार हल्का  
जिला :-  
वास्तविक सन्वत् :-

रामपुर  
कोटा  
2072

भू. अभि. नि. क्षेत्र  
दिनांक :-

रामपुर  
21/06/2018

प्रपत्र पी-26(बी)

पृष्ठ संख्या 4 of 6

| खेपट/बलोनी | नया पुराना | भूमि धारक का नाम | कागजकार का नाम | सूचना संख्या | क्षेत्रफल | भूमि वर्गीकरण | सिंचाई के माध्यम | लगतन |       |    | सामान्यतः भूमि खोरा विविधियों आदेश नं. तबता तारीख अन्तर्गत हो | टिप्पणी |
|------------|------------|------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------------|------|-------|----|---------------------------------------------------------------|---------|
|            |            |                  |                |              |           |               |                  | दर   | रकम   |    |                                                               |         |
| 1          | 2          | 3                | 4              | 5            | 6         | 7             | 8                | 9    | 10    | 11 | 12                                                            | 13      |
|            |            |                  |                | 312          | 2.6800    | बंजड़         |                  | 2    | 5.36  |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 313          | 2.7500    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 314          | 0.1100    | बंजड़         |                  | 2    | 0.22  |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 316          | 1.4300    | बंजड़         |                  | 2    | 2.86  |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 317          | 0.9200    | बंजड़         |                  | 2    |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 318          | 1.8300    | बंजड़         |                  | 2    |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 319/1        | 1.4900    | बंजड़         |                  | 2    |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 396          | 0.3100    | बंजड़         |                  | 2    | 0.62  |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 397          | 3.8300    | बंजड़         |                  | 2    | 7.66  |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 401          | 1.3500    | बंजड़         |                  | 2    | 2.70  |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 402          | 5.5000    | बंजड़         |                  | 2    | 11.00 |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 407          | 1.3900    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 408          | 3.9800    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 409          | 1.5100    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 412          | 2.3000    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 413          | 0.8600    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 414          | 2.4300    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 415          | 0.5000    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 416          | 7.5500    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 417          | 1.5000    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 418          | 1.3900    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 419          | 2.7100    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 420          | 3.9900    | वागसी तृतीय   |                  |      |       |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 421          | 10.0200   | बंजड़         |                  | 2    | 20.04 |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 422          | 0.7700    | बंजड़         |                  | 2    | 1.54  |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 425          | 0.2000    | बंजड़         |                  | 2    | 0.40  |    |                                                               |         |
|            |            |                  |                | 443          | 0.2700    | बंजड़         |                  | 2    | 0.54  |    |                                                               |         |

## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(बी)

पृष्ठ संख्या 5 of 6

ग्राम का नाम :-  
तहसील :-  
संवत् :-  
क्षेत्रफल :-पटवार हल्का  
जिला :-  
सालानिक संवत् :-सबका  
नाइपुरा  
2072 - 2075  
हेक्टेयरग्रामपंच. क्षेत्र  
दिनांक :-रामपुर  
21/06/2018

| खेवट/खतोनी |        | भूमि धारक का नाम |   | कायदाकार का नाम | सबका संख्या | क्षेत्रफल | भूमि वर्गीकरण         | स्विचार्ड के माध्यम | समान    |   |       | नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख | भूमि अधीन विनिष्ठियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तर्गत हो | लिखणी |
|------------|--------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------|---|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| नया        | पुराना | 1                | 2 | 3               | 4           | 5         | 6                     | 7                   | 8       | 9 | 10    | 11                           | 12                                                    | 13    |
|            |        |                  |   |                 |             | 445       | 0.2600 बंजड़          |                     | 0.2600  | 2 | 0.52  |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 446       | 0.0600 शे.मु. बाड़ा   |                     | 0.0600  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 447       | 3.4100 बंजड़          |                     | 3.4100  | 2 | 6.82  |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 448       | 6.0500 बंजड़          |                     | 6.0500  | 2 | 12.10 |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 449       | 3.1900 बागानी वृक्षीय |                     | 3.1900  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 450       | 7.3400 बागानी वृक्षीय |                     | 7.3400  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 451       | 8.3500 बंजड़          |                     | 8.3500  | 2 | 16.70 |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 452       | 12.0000 बंजड़         |                     | 12.0000 | 2 | 24.00 |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 453       | 2.0200 बंजड़          |                     | 2.0200  | 2 | 4.04  |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 457       | 2.6200 बंजड़          |                     | 2.6200  | 2 | 5.24  |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 459       | 1.5000 बंजड़          |                     | 1.5000  | 2 | 3.00  |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 460       | 0.5700 बागानी वृक्षीय |                     | 0.5700  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 461       | 0.9000 बागानी वृक्षीय |                     | 0.9000  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 462       | 1.8000 बागानी वृक्षीय |                     | 1.8000  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 463       | 6.0000 बंजड़          |                     | 6.0000  | 2 | 12.00 |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 467       | 9.0300 बंजड़          |                     | 9.0300  | 2 | 18.06 |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 468       | 8.2400 बंजड़          |                     | 8.2400  | 2 | 16.48 |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 469       | 0.6400 बागानी वृक्षीय |                     | 0.6400  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 470       | 0.0700 शे.मु. बाड़ा   |                     | 0.0700  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 471       | 11.9100 बंजड़         |                     | 11.9100 | 2 | 23.82 |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 472       | 0.5000 बागानी वृक्षीय |                     | 0.5000  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 473       | 2.4500 बागानी वृक्षीय |                     | 2.4500  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 474       | 3.8500 बागानी वृक्षीय |                     | 3.8500  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 475       | 0.2500 बागानी वृक्षीय |                     | 0.2500  |   |       |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 476       | 15.2800 बंजड़         |                     | 15.2800 | 2 | 30.56 |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 477       | 9.5700 बंजड़          |                     | 9.5700  | 2 | 19.14 |                              |                                                       |       |
|            |        |                  |   |                 |             | 478       | 9.0000 बंजड़          |                     | 9.0000  | 2 | 18.00 |                              |                                                       |       |

853 (सबका)

24

# जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- लखावा  
तहसील :- साइपुरा  
सम्बत :- 2072 - 2075  
शेखर :- ईकटपर

पटवार हल्का  
जिला :-  
बालाचिक सम्बत :- 2072

ग्राम नि. क्षेत्र  
दिनांक :-

रामपुर  
21/06/2018

पृष्ठ संख्या 6 of 6  
पृष्ठ पी-26(बी)

| खेड/खतोनी |        | भूमि धारक का नाम |   | काष्ठकार का नाम |   | खसरा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि वर्गीकरण | निर्वाह, साधन | लगान |    |    | सामान्य आदेश में तथा सारीख अन्तर्गत हो | भूमि ज्वीरा विविधियाँ | टिप्पणी |
|-----------|--------|------------------|---|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|---------------|------|----|----|----------------------------------------|-----------------------|---------|
| नया       | पुराना | 1                | 2 | 3               | 4 | 5           | 6         | 7             | 8             | 9    | 10 | 11 | 12                                     | 13                    |         |

853 (सबका)

|                |                          |                                 |          |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|----------|
| कुल खसरा : 142 | कुल क्षेत्रफल : 808.5200 | भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल | 1508.42  |
|                |                          | बंजर                            | 755.9100 |
|                |                          | सरासरी पक्का                    | 0.1500   |
|                |                          | सरासरी तृतीय                    | 61.6700  |
|                |                          | सहरी प्रथम                      | 2.0500   |
|                |                          | सहरी तृतीय                      | 6.1600   |
|                |                          | स.पु. सस्ता                     | 0.1500   |
|                |                          | स.पु. बाटा                      | 0.1200   |
|                |                          |                                 | 45.10    |
|                |                          |                                 | 1463.32  |

प्रतिलिपि शुल्क: 80/-

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रतिलिपि में दिनांक

प्रतिलिपि क्रमांक: 2601999-5374

प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक: 21/06/2018

एक के समस्त परिवर्तन समाविष्ट कर दिये गये हैं।

"अपना ला. सर्वप्रतिनिधि"

शहरी, भूतल बाटा केन्द्र  
हस्ताक्षर एल. आर. सी. मन्नासे

सहमीय नाइपुल लाइपुल



भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग  
विभागीय निर्देशन के अनुसार

94  
20

मुद्रा  
मू-प्रबन्ध  
विभाग,  
कोटा

25

ज्ञान क्षेत्रफल मोजा.....तहसील.....जिला कोटा राजस्थान संवत् 2037 20/6

| वर्तमान |      | गत               |      | वर्तमान |      | गत    |      |
|---------|------|------------------|------|---------|------|-------|------|
| स. न.   | रकबा | स. न.            | रकबा | स. न.   | रकबा | स. न. | रकबा |
| 296     | 0.52 | 292 मि           |      |         |      |       |      |
| 297     | 0.23 | 208 मि<br>208 मि |      |         |      |       |      |
| 298     | 2.22 | 208 मि<br>208 मि |      |         |      |       |      |
| 300     | 0.98 | 208 मि           |      |         |      |       |      |
| 301     | 0.39 | 208 मि           |      |         |      |       |      |

सत्य प्रतिलिपि

सुनी

13

8949195054

प्रस्ताव का नाम : Permission for Running of existing gaushala in forest land , lakhawa distt.

kota (rajasthan)

यूजर एजेंसी का नाम : SAINT SHRI ASHARAM Ji, GAUSHALA SAMITI

प्रस्ताव संख्या एवं फाईलिंग तिथि : FP/RJ/ROAD/25462/2017

प्रस्तावित जिले एवं तहसील मण्डल : Kota distt. & Kota Territorial

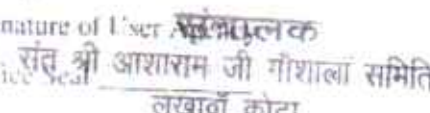
### UNDERTAKIN FOR NOT CUTTING TREES & DESTROYING VEGETATION

I, Jagdish Bhai , Resident, Saint Shri Asharam ji, Gaushala Samiti, Village Lakhawa, Tehsil Ladpura, Kota (Raj.) filling this undertaking as under :-

1. During execution work, we will not cut any tree or damage any tree. Still if it is rewarded, work will be carried out as per Forest Deptt. Guidance & Guideline.
2. The Soil work done during execution of Gaushala, we will make the land same as earlier after use/maintenance.
3. For Maintenance work in Gaushala, we will take permission from Forest Deptt.
4. We will work along the route as per drawing attached and permitted.

Place ..... Kota .....

Date ..... 17.12.2017 .....

Signature of User   
Office Seal   
संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति  
लखावाँ कोटा

Counter signed by :-

Divisional Forest Officer

..... Forest Division

Office Seal \_\_\_\_\_

प्रस्ताव का नाम : Permission for Running of existing gaushala in forest land , lakhawa distt.  
Kota (rajasthan)

यूजर एजेंसी का नाम : SAINT SHRI ASHARAM Ji, GAUSHALA SAMITI

प्रस्ताव संख्या एवं फाईलिंग लिथि : FP/RJ/ROAD/25-462/2017

प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Kota distt. & Kota Territorial

### UNDERTAKIN FOR PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

i. Jagdish Bhai , Resident, Saint Shri Asharam ji, Gaushala Samiti, Village Lakhawa, Tehsil Ladpura, Kota (Raj.) filling this undertaking as under :-

Certified that for running of existing Gaushala at Khasra No. 317, 318, 308/490, 309/491, 319 if any NPV is required, will be deposited by user agency as per rule.

Place .....Kota.....

Date .....17.12.22.....

Signature of User Agency

संस्थापक  
Office of Saint Shri Asharam Ji Gaushala Samiti  
लखवा कंटा

Counter signed by :-

Divisional Forest Officer

..... Forest Division

Office Seal .....

प्रस्ताव का नाम : Permission for Running of existing gaushala in forest land , lakhawa distt.  
kota (rajasthan)

द्वारा एजेंसी का नाम : SAINT SHRI ASHARAM JI, GAUSHALA SAMITI

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/ROAD/25462/2017

प्रभाविता जिला एवं वन मण्डल : Kota distt. & Kota Territorial

### UNDERTAKIN FOR STARTING OF WORK AS PER DIRECTION AND GUIDELINE OF FOREST DEPARTMENT

I, Jagdish Bhai , Resident, Saint Shri Asharam ji, Gaushala Samiti, Village Lakhawa, Tehsil Ladpura, Kota (Raj.) filling this undertaking as under :

That I have filed a proposal seeking permission for running of existing Gaushala at Khasra No. 317,318,308/490, 309/491,319, situated at village Lakhawa, Tehsil Ladpura, Kota (Raj.) in forest area before Dept. of Forest for clearance

1. We will run the Gaushala within permitted area.
2. We will not damage any forest/ environment plantation & vegetation and forest property.
3. We will take prior permission from DFO kota for starting the work.
4. We will use this permission for running of Gaushala
5. We will run Gaushala in day hours. No cap of labours & other staff will be established in forest. No fuel, fodder & other forest produce will be taken by labour and other staff from forest area.

Place ..... Kota

Date ..... 17-12-22

  
Signature of User Agency  
संत श्री आशाराम जी गोशाला समिति  
लखावाँ कोटा

Counter signed by

Divisional Forest Officer

..... Forest Division

Office Seal \_\_\_\_\_

प्रस्ताव का नाम : Permission for Running of existing gaushala in forest land , lakhawa distt.  
kota (rajasthan)

यूजर एजेंसी का नाम : SAINT SHRI ASHARAM JI. GAUSHALA SAMITI

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/ROAD/25462/2017

प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Kota distt. & Kota Territorial

### UNDERTAKIN FOR DEPOSITING C.A. AMOUNT

I, Jagdish Bhai , Resident, Saint Shri Asharam ji, Gaushala Samiti, Village Lakhawa, Tehsil Ladpura, Kota (Raj.) filling this undertaking as under :-

Certified that for running of existing Gaushala at Khasra No. 317,318,308/490, 309/491,319, if any C.A. amount is required, will be deposited by user agency as per rule.

Place .....*Kota*.....

Date .....*17.12.22*.....

*J. B. S.*  
Signature of User Agency

संस्थागत  
संत श्री अशारम जी गौशाला समिति

Counter signed by :-

Divisional Forest Officer

..... Forest Division

Office Seal \_\_\_\_\_